

FORM NO.111

फर्द प्रहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का वागरियावास

किस्म मुकदमा - प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131 132 एल आर एक्ट

मुकदमा नम्बर 127/2025

श्रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

नम्बर 3-111111
प्रहकाम जो
इस हुकम को
सम्बन्ध में जारी
हुये

23/09/2025

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अतिम
व्यवित तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून
2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय
सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व
विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में
से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकारों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख
शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र
पत्रांक प0 04(3) राज-5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा
प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों
में कर्दीगी रूप से बले आ रह प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज
कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों
से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव
तैयार करवाये गये थे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक
2176/भू.अ./2025 दिनांक 17.07.2025 एवं पुनः पत्रांक 2585/भू.अ./2025
दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा
पटवार हल्का वागरियावास के कृषि भूमि खसरा नम्बर 87, 88, 89 में से जा
रहे प्रचलित रास्ता ग्राम शिवराम का वास से भादवा की ढाणी को जाने वाला
रास्ता जो ग्रामीण सडक से लगता हुआ प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू
होकर सुचारू रूप से संचालित है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व
अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान
भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमावन्दी, नकल नक्शा
गुगल मैप, फर्द गौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बत
हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का
वागरियावास संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशषा
रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र

30
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म

जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

127/2015

प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने के प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

इसी परिपक्ष्य में पूर्व में श्रीमान संयुक्त शारान सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवों में कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 गु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जगावन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता ग्राम शिवराम का वास से भादवा की ढाणी को जाने वाला रास्ता जो ग्रामीण सड़क से लगता हुआ रास्ते के दोनों तरफ तारबंदी होकर सुचारु रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार दिये जाते हैं :-

राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार मण्डल बागरियावास तहसील, श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.0120 हैक्टर, 88 रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.0016 हैक्टर व 89 रकबा 1.04 हैक्टर में से 0.0076 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी वाली भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के

32
मध्यमण्डल अधिकारी
जयपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर वनाप पत्रावली हल्कावापरिभागात

प्र.सं. १७५२
हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
सं. - 127/2025
नम्बर व न
प्रकार व
हुकम की
में जारी है

प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जाये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किरम गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलिय/अपर/सिविल/राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

345
25